न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 3/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/झालावाड
दायरा दिनांकः 4.1.2017
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1 जाना बाई पुत्री धूली बाई जाति मीना निवासी ग्राम सेमली कला तहसील अकलेरा जिला झालावाड (राज0)।
.....अपीलांट

बनाम

1 घांसीलाल आत्मज नारायण जाति मीणा निवासी ग्राम पचोला
2 जगदीश आत्मज नारायण जाति मीणा निवासी ग्राम पचोला
3 कैलाश चन्द आत्मज नारायण जाति मीणा निवासी पचोजा
तहसील अकलेरा जिला झालावाड।
4 जगन्नाथ आत्मज मोतीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम खेरखेडा तहसील अकलेरा जिला झालावाड मृतक कायम मुकामानः–
4/1–बच्ची बाई पत्नी कंवरलाल जाति मीणा निवासी ग्राम मोरली तहसील अकलेरा जिला झालावाड।

4/2–कमलेश बाई पुत्री कंवरलाल पत्नी शंकरलाल जाति मीणा निवासी ग्राम मोरली तहसील अकलेरा जिला झालावाड।
4/3–मंन्जू बाई पुत्री कंवरलाल पत्नी कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम बोरदा तहसील अकलेरा जिला झालावाड।
...रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः :श्री अरूण कुमार जेन अभिभाषक अपीलार्थी
श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पो0 1 लगायत 3

:::निर्णय:::

दिनांक 28.2.2018

अपीलान्ट ने न्यायालय अति0 जिला कलक्टर झालावाड (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 145/अपील/15 बउनवान घांसीलाल वगेरा बनाम जानाबाई आदि मे पारित निर्णय दिनांक 18.11.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि घांसीलाल वगेरा द्वारा ग्राम पचोला की 14 किता की 41.13 बीघा अपीलांट की खातेदारी मे स्थित आराजी जिसमे ख0 नं0 445/2 की 3.06 बीघा, 446 की 0.03 बीघा शामिल है के संबध मे तहसीलदार अकलेरा द्वारा दिनांक 14.3.2015 को जानाबाई वगेरा के नाम तस्दीक किये गये नामा0 सं0 691 ग्राम पचोला से अप्रसन्न होकर अधीनस्थ न्यायालय मे अपील इस आशय की पेश की गई कि तहसीलदार द्वारा उक्त आराजी का नामा0 तस्दीक करते समय आराजी के वर्तमान खातेदार से पूछताछ नही की गई ओर ना ही सुनवाई का अवसर दिया। अतः नामान्तरकरण निरस्त किया जावे। अधीनस्थ/प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 18.11.2016 से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामा0 सं0 691 दिनांक 14.3.2015 ग्राम पचोला तहसील अकलेरा को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार अकलेरा को पुनः आवश्यक तहकीकात कर नवीन इन्तकाल खोलने की कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.11.2016 से व्यथित होकर अपीलांट जाना बाई द्वारा न्यायालय हाजा मे अपील पेश कर निवेदन किया कि उक्त नामान्तरकरण सं0 691 दिनांक 14.3.2015 न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय दिनांक 29.5.2013 की पालना मे खोल कर तस्दीक किया गया है जिसके विरूद्ध अपील पेश करने का कोई कानूनी प्रावधान नही है फिर भी रेस्पो0 1 लगा0 3 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को मिस गाईड करके उक्त जेरपअील आदेश पारित करवा लिया जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील

स० आदे०

स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.11.2016 निरस्त किया जाकर नामा0 सं0 691 को कायम रखे जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया कि नामा0 सं0 691 वाद प्रकरण मे पारित निर्णय एवं डिक्री की पालना मे तस्दीक किया गया है। ऐसी स्थिति मे उक्त नामा0 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करने का कोई कानूनी प्रावधान नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार को रिमांड करने का जेरअपील आदेश पारित कर विधिक त्रुटि की है। अपने कथन के समर्थन मे आरआरटी 2014 (1) पेज 552–554 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील स्वीकार कर जेरअपील निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम–1 लगा0 3 ने बहस मे प्रकट किया कि विवादित आराजी के संबध मे भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा अपील सं0 198/2014 बउनवानी घांसीलाल बनाम गोराबाई मे पारित निर्णय दिनांक 8.4.2015 के विरूद्ध पक्षकारान के मध्य माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर मे अपील सं0 1921/15 जेरकार है ऐसी स्थिति मे नामा0 से सबंधित कार्यवाही नही की जानी चाहिये। अपने कथन के समर्थन मे आरआरटी 2011–2012 (सुप्रीम) पेज 657 व आरआरटी 2009 (2) पेज 1225 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार द्वारा पेश न्यायिक उद्धरणो का अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। प्रकरण मे रेस्पो0 क्रम–1 व 3 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आर्डर 41 रूल 27 एवं 151 सीपीसी के साथ नामान्तरकरण से संबधित आराजी के मामले मे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे जेरअपील अपील सं0 1921/2015 बउनवान घांसीलाल बनाम मृतक गोराबाई जरिये कायम मुकामान कल्याण वगेरा एंव आदेशिका की प्रमाणित प्रति पेश कर रिकार्ड पर लिये जाने का अनुरोध किया। उक्त दस्तावेज अपील प्रकरण के निर्णय मे सहायक होने से न्यायहित प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जाते है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख/नामा0 सं0 691 का अवलोकन किया। नामा0 के कालम सं0 14 एवं कालम सं0 16 मे वर्णित पटवारी रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है विवादित आराजी का नामान्तरकरण सं0 691 दिनांक 14.3.2015 न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय के आधार पर तस्दीक किया गया है जिसके विरूद्ध रेस्पो0 को प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपील पेश करने की कानूनन कोई अधिकारिता नही थी। डिक्री/निर्णय के विरूद्ध व्यथित व्यक्ति को सक्षम न्यायालय मे एप्रोच करना था। निर्णय/डिक्री के परीक्षण करने की अधिकारिता अधीनस्थ न्यायालय अति0 कलेक्टर झालावाड को नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर गौर नही कर रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत अपील को निर्णय दिनांक 18.11.2016 से स्वीकार कर डिक्री के आधार पर तस्दीक किये गये नामा0 सं0 691 को निरस्त कर तहकीकात कर पुनः नवीन नामान्तरकरण खोलने हेतु प्रकरण तहसीलदार को रिमांड करने मे विधिक त्रुटि की है। प्रश्नगत प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आरआरटी 2014 (1) पेज 552–554 चस्पा होता है। उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.11.2016 अपास्त किये जाने योग्य है।

6 परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर झालावाड द्वारा प्रकरण सं0 145/अपील/15 बउनवान घांसीलाल वगेरा बनाम जाना बाई आदि मे पारित निर्णय दिनांक 18.11.2016 अपास्त किया जाकर नामा0 सं0 691 दिनांक 14.3.2015 को यथावत रखा जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 28.2.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा